

**बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग**

अधि०सू०सं०-निग/सारा-9(आरोप)-103/2010 6584(5)

पटना, दिनांक :- 14/9/26

अधिसूचना

श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड) सम्प्रति: उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता), सेतु शोध एवं विकास प्रमंडल-2, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा के पदस्थापन काल में अलकतरा अधिप्राप्ति के मामले में आपराधिक षडयंत्र, जालसाजी करने इत्यादि आरोपों के लिए सी०बी०आई० द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 एवं भारतीय दंड विधान की सुसंगत धाराओं के तहत सी०बी०आई० कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) दिनांक-16.09.2009 दर्ज किया गया, जिसमें श्री सिन्हा के विरुद्ध झारखंड सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृत किया गया एवं माननीय न्यायालय में सी०बी०आई० द्वारा आरोप पत्र संख्या-4909/3/16 A/09 (R) दिनांक-30.11.2010 दायर किया गया।

2. उक्त सी०बी०आई० कांड में श्री सिन्हा को दिनांक-11.02.2013 से 15.04.2013 तक न्यायिक हिरासत में रखा गया। फलस्वरूप अधिसूचना संख्या-9940 (एस) दिनांक-27.12.2013 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 (2)(क) के तहत श्री सिन्हा को काराधीन अवधि हेतु निलंबित किया गया।

3. संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप श्री सिन्हा की सेवा अंतिम रूप से बिहार राज्य को आवंटित होने के आलोक में झारखंड सरकार के पत्रांक-7998 (एस) अनु० दिनांक-03.09.2013 द्वारा इनके विरुद्ध कार्य प्रमंडल, सिमडेगा के पदस्थापन काल में गरजा-रेंगांटी-देवबहार पथ के मजबूतीकरण कार्य के संवेदक द्वारा समर्पित जाली बिटुमिन इन्वायसेज के आधार पर गठित विपत्र, मापी पुस्त एवं बिटुमिन इन्वायसेज सत्यापित करने एवं राजस्व की क्षति पहुँचाने के लिए उनका दोष प्रतीत होने के परिणामस्वरूप प्रपत्र-‘क’ के तहत आरोप गठित करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु बिहार सरकार को उपलब्ध कराया गया।

4. उक्त अनुशंसा के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करते हुए श्री सिन्हा के विरुद्ध ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा के पदस्थापन काल में बरती गयी उक्त अनियमितता हेतु संकल्प ज्ञापक-3577 (एस) अनु० दिनांक-07.05.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

5. संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में मुख्य अभियंता (यातायात)-सह-संचालन पदाधिकारी, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-667 (अनु०) निांक-27.02.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें अंकित किया गया कि कनीय अभियंता द्वारा विपत्र तैयार करते समय एवं सहायक अभियंता द्वारा विपत्र की जाँच करते समय Bitumen Invoice को बारीकी से देखना चाहिए था, क्योंकि संवेदक द्वारा कार्य में प्रयुक्त Bitumen के कुल 8 Invoice में से 3 Invoice false & fabricated पाये गये। साथ ही यह आश्वस्त होना चाहिए था कि Bitumen Invoice का सत्यापन आपूर्ति किये जाने वाले सरकारी प्रतिष्ठान (IOCL) से हुआ है या नहीं। यदि सत्यापन नहीं कराया गया था तो इसके लिए आरोपित अभियंता, श्री सिन्हा को संबंधित कार्यपालक अभियंता को लिखना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। इसलिए आरोपित पदाधिकारी से अपने कर्तव्य निर्वहन में हुई चूक के कारण आरोप आंशिक रूप से प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

6. प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत प्रमाणित प्रतिवेदित आरोप के लिए पत्रांक-6098 (एस) अनु० दिनांक-10.07.2017 द्वारा श्री सिन्हा से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री सिन्हा द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर पत्रांक-शून्य दिनांक-08.08.2017 की समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिन्हा के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर के माध्यम से ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा गया है जिसके आधार पर इनके विरुद्ध प्रमाणित प्रतिवेदित आरोप का खंडन किया जा सके।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सिन्हा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा उत्तर की सांगोपांग समीक्षा के उपरांत असंतोषजनक पाये जाने की स्थिति में इसे अस्वीकृत करते हुए अधिसूचना संख्या-11867 (एस) सहपठित ज्ञापांक-11868 (एस) दिनांक-20.12.2007 द्वारा "दो वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" तथा श्री सिन्हा के विरुद्ध दर्ज सी0बी0आई0 कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) में दिनांक-11.02.2013 से 15.04.13 तक न्यायिक हिरासत में रखे जाने की निलंबनावधि के विनियमन के संबंध में प्रासंगिक सी0बी0आई0 कांड में अंतिम रूप से पारित आदेश के पश्चात ही नियमानुसार निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया।

8. उक्त अधिरोपित दण्डादेश के विरुद्ध श्री सिन्हा द्वारा पुनरीक्षण अभ्यावेदन दिनांक-19.06.2018 समर्पित किया गया, जिसमें दिये गये तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर किये गये सांगोपांग समीक्षा में पाया गया कि इनके अभ्यावेदन पर विचार किये जाने का कोई युक्तिसंगत अवसर प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप अधिसूचना संख्या-3733 (एस) सहपठित ज्ञापांक-3734 (एस) दिनांक-27.03.2019 के द्वारा श्री सिन्हा के उक्त पुनरीक्षण अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।

9. सी0बी0आई0 कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) में माननीय विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0 राँची के द्वारा दिनांक-29.03.2019 को पारित आदेश में भा0द0वि0 की धारा-420, 468, 471 एवं 120बी तथा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम-1988 की धारा-13(2) एवं 13(1)(D) के तहत श्री सुनील कुमार सिन्हा को दोषी मानते हुए सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दिया गया। तदालोक में श्री सिन्हा के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हो जाने के फलस्वरूप विहित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अधिसूचना संख्या-590 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591 (एस) दिनांक-02.02.2023 के द्वारा श्री सिन्हा के विरुद्ध "तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त" किये जाने का दण्ड अधिरोपित किया गया।

10. श्री सिन्हा द्वारा सी0बी0आई0 कांड में पारित न्यायादेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में दायर Cr. Appeal No.-403/2019 में दिनांक-21.08.2023 को पारित आदेश में सी0बी0आई0 न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए श्री सिन्हा को दोषमुक्त (Acquitted) कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के आलोक में श्री सिन्हा के अभ्यावेदन पत्रांक-शून्य दिनांक-06.10.2023 एवं अन्य के द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-590 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591 (एस) दिनांक-02.02.2023 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया, जिस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग का परामर्श प्राप्त करते हुए विभागीय समीक्षोपरान्त श्री सिन्हा के विरुद्ध संसूचित बर्खास्तगी दंडादेश (विभागीय अधिसूचना संख्या-590 (एस)-सह-पठित ज्ञापांक-591 (एस) दिनांक-02.02.2023) को मंत्रीपरिषद की स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से विभागीय अधिसूचना संख्या-8273(एस) सहपठित ज्ञापांक-8274 (एस) दिनांक-04.10.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया।

11. सी0बी0आई0 कांड संख्या-RC-16(A)/2009 (R) में सक्षम न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से आदेश पारित किये जाने के फलस्वरूप सम्यक रूप विचारोपरांत श्री सिन्हा के निलंबन अवधि एवं बर्खास्तगी से सेवा में पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को अधिसूचना संख्या-203 (एस) सहपठित ज्ञापांक-204 (एस) दिनांक-09.01.2026 के द्वारा निम्नरूपेण विनियमित किया गया :-

- (i) दिनांक-11.02.2013 से 15.04.2013 तक निलंबन अवधि एवं दिनांक-02.02.2023 से 04.10.2025 तक बर्खास्तगी से सेवा पुनर्स्थापन के बीच की अवधि को प्रत्येक प्रयोजनार्थ कर्तव्य अवधि के रूप में पूर्ण वेतन एवं भत्ते के साथ विनियमित किया जाता है।
- (ii) निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन एवं भत्ते के भुगतान के कम में निलंबन अवधि में भुगतान किये जा चुके जीवन निर्वाह भत्ता की राशि का समायोजन कर लिया जायेगा।

12. श्री सिन्हा के अभ्यावेदन दिनांक-22.01.2026 के द्वारा मुख्य रूप से आपराधिक मामले के साक्ष्य और विभागीय कार्यवाही के साक्ष्य समान होने के आलोक में Capt. M. Paul Anthony Vs. Bharat Goldmines Ltd. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-30.03.1999 को पारित आदेश का संदर्भ देते हुए विभागीय अधिसूचना संख्या-11867 (एस) दिनांक-20.12.2017 द्वारा संसूचित दंड "दो वार्षिक वेतन

वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक" को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

13. श्री सिन्हा के उक्त अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत पाया गया कि आपराधिक कार्यवाही एवं अनुशासनिक कार्रवाई दोनों अलग-अलग प्रक्रिया है। Criminal Case में Acquittal हो जाने से अनुशासनिक कार्रवाई प्रभावित नहीं होती है। श्री सिन्हा को अनुशासनिक कार्रवाई में reasonable doubt रहने के कारण ही दोषी मानते हुए दंड दिया गया। श्री सिन्हा ने बिना जाँचे-परखे जाली Bitumen Invoice पर हस्ताक्षर किया, जो कार्य के प्रति उनकी लापरवाही एवं उदासीनता को दर्शाता है और सिर्फ इसी प्रमाणित बिन्दु के लिए श्री सिन्हा के विरुद्ध अनुशासनिक आधार पर दंड अधिरोपित किया गया। आरोप संबंधी यह तथ्य आज भी यथावत है।

14. अतएव उर्पयुक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, सिमडेगा (झारखण्ड) सम्प्रति: उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता), सेतु शोध एवं विकास प्रमंडल-2, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के अभ्यावेदन दिनांक-22.01.2026 को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राकेश कुमार)

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-9(आरोप)-103/2010

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-9(आरोप)-103/2010

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित (द्वारा-आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :-

ज्ञापांक :- निग/सारा-9(आरोप)-103/2010

प्रतिलिपि :- सचिव, पथ निर्माण विभाग/प्रधान सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/संयुक्त सचिव, पथ निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०प० उपभाग सहित), पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर/उप सचिव (निगरानी)/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव (प्र०को०)/(मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1/2/6/13/14 एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री सुनील कुमार सिन्हा, तत्कालीन सहायक अभियंता, गुण नियंत्रण, पथ अवर प्रमंडल, हाजीपुर, पथ प्रमंडल, हाजीपुर सम्प्रति: उप मुख्य सेतु विशेषज्ञ (कार्यपालक अभियंता), सेतु शोध एवं विकास प्रमंडल-2, सेतु प्रबंधन उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापक:- निग/सारा-9(आरोप)-103/2010

6585(5)

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

[Signature]

सरकार के उप सचिव,

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Anil
11.09.26